सं.ए-12025/01/2018-प्रशा. III

भारत सरकार

नीति आयोग

***

नीति भवन,संसद मार्ग

नई दिल्ली, 05 नवंबर,2018

सेवार्थ,

केंद्र सरकार के समस्त मंत्रालय/विभाग/ राज्य सरकार/ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन (उनके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों सहित)/ विश्वविद्यालय/ मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान/ सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम/ अर्ध-सरकारी/सांविधिक/स्वायत्त संगठन

विषयः नीति आयोग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700 रुपए) में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी/वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100/177500 रूपए) में अनुसंधान अधिकारी/वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900/142400 रूपए) में आर्थिक अधिकारी के 5 संयुक्त पदों को सामासिक प्रणाली [प्रतिनियुक्ति(अल्पकालिक संविदा सहित)/पदोन्नति] आधार पर भरा जाना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नीति आयोग को वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700 रुपए) में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी/वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100/177500 रूपए) में अनुसंधान अधिकारी/वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900/142400 रूपए) में आर्थिक अधिकारी के 5 संयुक्त पदों पर नियुक्ति [प्रतिनियुक्ति(अल्पकालिक संविदा सहित)/पदोन्नति आधार पर] के लिए उपयुक्त अधिकारियों की सेवाओं की आवश्यकता है। ये नीति आयोग में सामान्य केंद्रीय सेवा के पद हैं। वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी और अनुसंधान अधिकारी के पद समूह "क" के हैं और आर्थिक अधिकारी समूह "ख" का पद है। वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी और अनुसंधान अधिकारी के पदों पर चयन संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जाएगा। आर्थिक अधिकारी के चयन के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है।

2. केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभाग/ राज्य सरकार/ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन (उनके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों सहित)/ विश्वविद्यालय/ मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान/ सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम/ अर्ध-सरकारी/सांविधिक/स्वायत्त संगठनों में कार्यरत अधिकारी और फीडर ग्रेड के पदों पर कार्यरत अधिकारी,जैसे- अनुसंधान अधिकारी, आर्थिक अधिकारी और नीति आयोग के अनुसंधान सहायक, जिनके पास निम्नांकित शैक्षिक अर्हता हो और जो पात्रता शर्तें पूरी करते हों, पर भी विचार किया जाएगाः

(I) शैक्षिक अर्हताः

अनिवार्यः किसी भी विधा में मास्टर उपाधि अथवा एमबीबीएस अथवा इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि या भारतीय अभियांत्रिकी संस्थान (भारत) की सांस्थानिक परीक्षा के खंड-**क** और **ख** उत्तीर्ण;

अथवा

प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (दो वर्ष)।

(II) वांछनीयः

किसी भी विधा में डॉक्टरेट अथवा अभियांत्रिकी में मास्टर उपाधि।

(III) पदवार पात्रता शर्तें (अंतिम तारीख़ की स्थिति के अनुसार)

क. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी

केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान या सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम या स्वायत्त संगठनों के अधिकारी-

(क)(i) जो मूल संवर्ग में अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों;

अथवा

(क)(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 में अथवा मूल संवर्ग या विभाग में समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरान्त ग्रेड में पाँच वर्ष की सेवा की हो।

(ख) अनिवार्य अनुभवः नीति, कार्यक्रम और परियोजनाओं के निर्माण, मूल्यांकन, निष्पादन अथवा कार्यान्वयन, अनुसंधान, अनुवीक्षण और मूल्यांकन में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव (जिसमें पी.एचडी. के लिए तीन वर्ष तक की अवधि शामिल होगी, किंतु उन वर्षों को कार्यानुभव में गिना नहीं जाएगा)।

नोटः बाहरी लोगों साथ-साथ नीति आयोग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 के ऐसे विभागीय अनुसंधान अधिकारियों पर भी विचार किया जाएगा जिन्होंने नियुक्ति के उपरान्त नियमित आधार पर ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा की हो और जिनके पास आवश्यक शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव भी हों और जिन्होंने नीति आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट क्षेत्र में 2-4 सप्ताह का प्रशिक्षण भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो और अगर कोई विभागीय अनुसंधान अधिकारी पद पर नियुक्ति हेतु चयनित होता है तो इसे पदोन्नति से भरा गया माना जाएगा।

ख. अनुसंधान अधिकारी

केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान या सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम या स्वायत्त संगठनों के अधिकारी-

(क)(i) जो मूल संवर्ग में अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों;

अथवा

(क)(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 में अथवा मूल संवर्ग या विभाग में समतुल्य में नियुक्ति के उपरान्त ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा की हो।

(ख) अनिवार्य अनुभवः नीति,कार्यक्रम और परियोजनाओं के निर्माण, अवलोकन, अनुपालन अथवा कार्यान्वयन, अनुसंधान, अनुवीक्षण और मूल्यांकन में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव (जिसमें पी.एचडी. के लिए तीन वर्ष की अवधि शामिल होगी, किंतु उन वर्षों को कार्यानुभव में गिना नहीं जाएगा)।

नोटः बाहरी लोगों साथ-साथ नीति आयोग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 के ऐसे विभागीय आर्थिक अधिकारियों पर भी विचार किया जाएगा जिन्होंने नियुक्ति के उपरान्त नियमित आधार पर ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा की हो और जिनके पास आवश्यक शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव भी हों और जिन्होंने नीति आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट क्षेत्र में 2-4 सप्ताह का प्रशिक्षण भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो और अगर कोई विभागीय आर्थिक अधिकारी पद पर नियुक्ति हेतु चयनित होता है तो इसे पदोन्नति से भरा गया माना जाएगा।

ग. आर्थिक अधिकारीः

केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्यक्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों अथवा स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी-

i. जो मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों;
ii. जिन्होंने मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 में अथवा समतुल्य में पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरान्त ग्रेड में पाँच वर्ष तक सेवा दी हो।

नोटः- बाहरी लोगों के साथ-साथ नीति आयोग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 के ऐसे विभागीय अनुसंधान सहायक पर भी विचार किया जाएगा जिसने नियुक्ति के उपरान्त नियमित आधार पर ग्रेड में पाँच वर्ष की सेवा दी हो और जिसने 2-4 सप्ताह का प्रशिक्षण भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो और अगर इस पद पर नियुक्ति के लिए किसी विभागीय अनुसंधान सहायक का चयन होता है तो इसे पदोन्नति से भरा गया माना जाएगा।

उम्र सीमा

प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की आख़िरी तारीख़ को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति की अवधि

केंद्र सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित अन्य संवर्गेतर पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) सहित प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि सामान्यतः वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के लिए **चार** वर्ष और अनुसंधान अधिकारी तथा आर्थिक अधिकारी-दोनों के लिए **तीन** वर्ष से अधिक नहीं होगी।

3. इच्छुक आवेदक नीति आयोग की वेबसाइट http://www.niti.gov.in के रिक्रूटमेंट लिंक अर्थात् http://niti.gov.in/career/recruitment से रिक्ति परिपत्र तथा आवेदन-प्ररुप डाउनलोड कर आवेदन करें।

4. केंद्र सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपने यहां कार्यरत सहित अपने नियंत्रणाधीन विश्वविद्यालयों अथवा सार्वजनिक उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा स्वायत्त संगठनों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों में उपयुक्त स्तरों के अधिकारियों में इस रिक्ति परिपत्र का व्यापक प्रचार करें।

5. पात्रता शर्तें पूरी करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन (दो प्रतियों में), निर्धारित प्रपत्र (उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध) में,संबंधित अभ्यर्थी की वर्ष 2012-13 से लेकर पिछले पाँच वर्ष की अद्यतन गोपनीय रिपोर्ट/एपीएआर डोजियर अथवा अभ्यर्थी की वार्षिक गोपनीय/वार्षिक निष्पादन रिपोर्टों की सत्यापित छायाप्रतियों के साथ अग्रेषित की जाएं जिन पर अभ्यर्थी द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किया गया हो और जिन्हें नियोक्ता/संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी ने प्रमाणित कर दिया हो जिन्हें चयन की सूचना मिलने के एक माह के भीतर नए कार्यभार के लिए मुक्त किया जा सकता हो। अगर किसी अवधि विशेष की सीआर/एपीएआर उपलब्ध न हो तो उस अवधि के लिए सीआर/एपीएआर के साथ एनआरसी के साथ पूर्वगामी वर्ष की समतुल्य अवधि की सीआर/एपीएआर संलग्न की जाए।

6. ये रिक्तियां रोज़गार समाचार में भी प्रकाशित की जा रही हैं। नीति आयोग में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ रोज़गार में विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख़ से 60 दिन होगी।

7. उल्लेखनीय है कि डीओपीटी के दिनांक 22.8.2017 के का.ज्ञा. संख्या 9/23/2014-ईओ (एसएम-।।) के साथ पठित 27/2/2009-ईओ (एसएम-।।), दिनांक 16.7.2009 के नियमों के अनुसार,

अगर कोई अभ्यर्थी किसी पद पर विचार किए जाने के लिए आवेदन करता है और उस पर विचार किया जाता है तथा उसका चयन हो जाता है तो सामान्यतः, वह नियुक्ति से इनकार नहीं करेगा/करेगी और अगर वह नियुक्ति से इनकार करता/करती है तो उस पर उक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

8. आवेदक को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आवेदन विहित प्रपत्र में हो और हर प्रकार से पूर्ण हो। प्ररुप का कोई कॉलम ख़ाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए। अगर कोई सूचना लागू न होती हो अथवा शून्य हो,तो उसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए। केवल उचित माध्यम से और विनिर्दिष्ट तारीख़ तक प्राप्त पूर्ण आवेदनों पर विचार किया जाएगा। आवेदन रोज़गार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख़ से 60 दिन के भीतर अवर सचिव (प्रशा. ।।), नीति आयोग, कमरा संख्या 448, नीति भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 में पहुंच जाने चाहिए जिसके लिफाफे पर स्पष्ट अक्षरों में **नीति आयोग में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी अथवा अनुसंधान अधिकारी अथवा आर्थिक अधिकारी पद हेतु आवेदन** स्पष्ट रूप से अंकित हो।

आपका

(सुनील कुमार)
अवर सचिव,भारत सरकार
दूरभाषः 011-23042479

प्रति सूचनार्थ अग्रेषितः

1. डीओपीटी (ध्यानार्थःश्री जुगलाल सिंह,उप सचिव (प्रशासन),नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001) को इस अनुरोध के साथ कि इस रिक्ति परिपत्र को वेबसाइट पर अपलोड कराया जाए।
2. एनआईसी,नीति आयोग को इस अनुरोध के साथ कि इस रिक्ति परिपत्र को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।